भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 177
उत्तर देने की तारीख 01.12.2025

भारतीय भाषाओं का संरक्षण

177\. **श्री ईश्वरस्वामी के. :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और जनजातियों आदि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी भाषाओं की अपनी लिपि है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक भाषाएँ विगत पचास वर्षों के दौरान विलुप्त हो चुकी हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन भाषाओं के साथ-साथ इनसे जुड़ी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारत की जनगणना 2011 (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय) के अनुसार, देश में कुल 121 भाषाएँ सूचित की गई हैं। इनमें से कई भाषाओं की अपनी विशिष्ट लिपियां हैं, जबकि अन्य साझा लिपि या क्षेत्रीय लिपियों में लिखी जाती हैं।

(ख) और (ग): शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत की विलुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण स्कीम (एसपीपीईएल) के अंतर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरु के माध्यम से 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की उन सभी मातृभाषाओं/भाषाओं जिन्हें विलुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है, के संरक्षण, परिरक्षण और प्रलेखन का कार्य किया जाता है। स्कीम के प्रथम चरण में, पूरे भारत से 117 विलुप्तप्राय

भाषाओं/मातृभाषाओं को अध्ययन और प्रलेखन के लिए चुना गया है, जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी के माध्यम से 24 मान्यताप्राप्त भाषाओं और अनेक जनजातीय और गैर-मान्यताप्राप्त भाषाओं में पुरस्कारों, अनुवादों और कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्यिक संवाद और प्रकाशन को बढ़ावा देता है। यह मौखिक और जनजातीय साहित्य के प्रलेखन और संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम और केन्द्र भी सृजित करता है, जैसे वाचिक एवं जनजातीय साहित्य केन्द्र और कम मान्यताप्राप्त भाषाओं में काम करने वाले विद्वानों को भाषा सम्मान प्रदान करता है।

24 भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं के लिए वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं; और भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

अनुलग्नक-क

'भारतीय भाषाओं का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत की विलुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण स्कीम (एसपीपीईएल)

विलुप्तप्राय भाषाओं की क्षेत्र-वार सूची

क्रम संख्या	भाषाएं/मातृभाषाएं	क्षेत्र
1	लामोंगसे	अंडमान और निकोबार
2	लूरो	अंडमान और निकोबार
3	मुओत	अंडमान और निकोबार
4	ओंगे	अंडमान और निकोबार
5	पु	अंडमान और निकोबार
6	सानेन्यो	अंडमान और निकोबार
7	सैंटीलीज़	अंडमान और निकोबार
8	शोमपेन	अंडमान और निकोबार
9	ताकाहानयिलांग	अंडमान और निकोबार
10	भुंजिया	पूर्वी मध्य क्षेत्र
11	बिनझिया/बिरजिया/ब्रिजिया	पूर्वी मध्य क्षेत्र
12	बिरहोर	पूर्वी मध्य क्षेत्र
13	बोडोगडबा/गुतोब	पूर्वी मध्य क्षेत्र
14	बोंडो	पूर्वी मध्य क्षेत्र
15	धीमल	पूर्वी मध्य क्षेत्र
16	दीदाई/गाता	पूर्वी मध्य क्षेत्र
17	गोरम	पूर्वी मध्य क्षेत्र
18	होलिया	पूर्वी मध्य क्षेत्र
19	मांडा	पूर्वी मध्य क्षेत्र
20	मरु	पूर्वी मध्य क्षेत्र
21	परेंगा	पूर्वी मध्य क्षेत्र
22	थारुवा	पूर्वी मध्य क्षेत्र
23	थोती	पूर्वी मध्य क्षेत्र
24	टोटो	पूर्वी मध्य क्षेत्र
25	अइमोल	उत्तर पूर्वी क्षेत्र

26	अतोंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
27	बागी	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
28	बाइते/बियाते	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
29	बंगारो	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
30	बॉम	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
31	चिन्ज़/ज़ाइपे	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
32	चिरु	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
33	छोथे	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
34	दारलोंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
35	दिरांग मोनपा	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
36	गुरुंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
37	कागाते	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
38	कामी/खामी	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
39	खाम्बा	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
40	खामियांग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
41	खाम्पती	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
42	कोइरेंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
43	कोमकर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
44	कोंगबो	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
45	लामगांग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
46	लिज़ू	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
47	मारा	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
48	मेयोर/जाकरिंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
49	मोयोन	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
50	मुखिया/सुनुवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
51	ना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
52	नेवार/प्रधान	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
53	नेवारी	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
54	फाकियाल/ताईफेक	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
55	पुरोइक/सुलुंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
56	पुरुमु	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
57	रालते	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
58	रंगलोंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र

59	शेरदुकपेन	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
60	सिमोंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
61	सिंगफो	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
62	तांगम	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
63	ताराओ	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
64	थापा	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
65	उचई	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
66	योबिन/योबिनलिजू	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
67	जाखरिंग	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
68	चिनाली	उत्तरी क्षेत्र
69	दरमिया	उत्तरी क्षेत्र
70	गाहरी	उत्तरी क्षेत्र
71	जाद	उत्तरी क्षेत्र
72	जंगाली	उत्तरी क्षेत्र
73	जांगशुंग	उत्तरी क्षेत्र
74	कानशी/ मालानी	उत्तरी क्षेत्र
75	रोंगपो	उत्तरी क्षेत्र
76	स्पीति	उत्तरी क्षेत्र
77	बलास्तिन	उत्तरी क्षेत्र
78	बातेरी	उत्तरी क्षेत्र
79	बेदा	उत्तरी क्षेत्र
80	भद्रालियाम	उत्तरी क्षेत्र
81	दारगारी	उत्तरी क्षेत्र
82	गोजापुरी	उत्तरी क्षेत्र
83	हस्सादी	उत्तरी क्षेत्र
84	खाना	उत्तरी क्षेत्र
85	खाशा/खाश	उत्तरी क्षेत्र
86	कुशवाही	उत्तरी क्षेत्र
87	मासिदी	उत्तरी क्षेत्र
88	मेशाबी	उत्तरी क्षेत्र
89	पददारी	उत्तरी क्षेत्र
90	सियान	उत्तरी क्षेत्र
91	सिरम	उत्तरी क्षेत्र

92	तेहगुल	उत्तरी क्षेत्र
93	आरन्दन	दक्षिण क्षेत्र
94	इरावल्लान	दक्षिण क्षेत्र
95	हक्कीपिक्की	दक्षिण क्षेत्र
96	जेनुकुरुम्बा	दक्षिण क्षेत्र
97	कादर	दक्षिण क्षेत्र
98	कनिकरगोट्टी	दक्षिण क्षेत्र
99	कुटिया	दक्षिण क्षेत्र
100	मालाइमालासर	दक्षिण क्षेत्र
101	मालासार	दक्षिण क्षेत्र
102	मलायान	दक्षिण क्षेत्र
103	मन्नान	दक्षिण क्षेत्र
104	मूपन	दक्षिण क्षेत्र
105	मुदुगा	दक्षिण क्षेत्र
106	मुदुवान	दक्षिण क्षेत्र
107	पालिया	दक्षिण क्षेत्र
108	पुलिया	दक्षिण क्षेत्र
109	सिद्दी	दक्षिण क्षेत्र
110	सोलिगा	दक्षिण क्षेत्र
111	तोदा	दक्षिण क्षेत्र
112	युराली	दक्षिण क्षेत्र
113	बरादी	पश्चिम मध्य क्षेत्र
114	भाला	पश्चिम मध्य क्षेत्र
115	भारवाद/भारवादी	पश्चिम मध्य क्षेत्र
116	दिवेही	पश्चिम मध्य क्षेत्र
117	निहाली	पश्चिम मध्य क्षेत्र